

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 37

दायरा तिथि : 15.02.2023

आदेश तिथि : 09-04-2024

प्रार्थी :-

श्रीमती गंगा सिंधल पत्नी मोहन सिंधल जाति मेघवाल निवासी बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 09-04-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 25/1 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 25 रकबा 2.8300 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/952 दिनांक 04.09.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

- यह है कि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम के खसरा नंबर 25/1 रकबा 1.6000 हैक्टर किस्म बरानी दोगम भूमि प्रार्थनी श्रीमती गंगा सिंधल पत्नी मोहन सिंधल जाति मेघवाल निवासी बाली (राहिन पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक शाखा फालना के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में खातेदार प्रस्तावित भूमि में से ही आवागमन करता है।
- यह है कि प्रस्तावित भूमि मौजा बेडा प्रथम के खसरा नंबर 25 में आंशिक भाग खाली है तथा कुछ भाग में फसल खड़ी है व शेष भूमि पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही उप तहसील कार्यालय बेडा में विचाराधीन है।
- यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	बेडा प्रथम	25	2.8300 हैक्टर	गै.मु. मगरा	40x9= 360 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

- यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडा प्रथम की डी.एल.सी. दर 238950 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
- प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशांषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व प्रकरण सरकार की बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023 / 37

अनवान गंगा सिंधल बनाम तहसीलदार बाली

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 25/1 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/952 दिनांक 0409.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 25/1 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 25 रकबा 2.8300 हैक्टर में से 360 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 238950/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
25	2.8300	40X9=360 वर्गमीटर	24	8640X2=17280	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 17280/- (अक्षरे सत्रह हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/453-57

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा प्रथम
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक गंगा सिंधल पत्नी मोहन सिंधल जाति मेघवाल निवासी बाली को सूचनार्थ।

(दिनांक दिशनाई)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 09.04.2024

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

रक्षा घाट बिक्रम

ग्राम - बेल पुरान

तहसील - बाली

जिल्ला - पाली

342

8

362

10

137

20

21

22

287

23

24

15

120

10

11

12

13

17

18

16

15

14

25/1

25

27/5

27/1

27/2

27/3

27/6

27/0

27/10

27/12

26/4

26/2

26/3

26/6

27/8

26/5

26/7

5/2

5/1

360

प्रकारित मात्रा

20-न 25 भूमे

ल. 40मीटर x 9मीटर

= 360 वर्गमीटर

भूमे 0.0360 हे.

सहायक कलक्टर



EX Court

D-1

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली